


Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
साधुसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 45 जीबी तहसील श्रीविजयनगर आदि
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज आदि
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी
प्रकरण संख्या- 30 /2026 जीसीएमएस न. 2026/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए
24.03.2026	<p>वकील प्रार्थी श्री राजवीर भादू ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 व धारा 151 सीपीसी के तहत पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ के प्रकरण संख्या 14/2023 सीगा अपील अनवान साधुसिंह आदि बनाम सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 जिसके द्वारा अपील अपीलांट अदम पैरवी में खारिज की गई, को निरस्त करते हुए मूल अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।</p> <p>चूंकि प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार है का है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ की मूल अपील संख्या 14/2023 अनवान साधुसिंह बनाम सरकार आदि को इस न्यायालय में नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रखे जाने पारित किये जाते हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (दीनानाथ बबल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)</p>	

